माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर

कंपनी पिटीशन नं. 31/2014

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 सहपठित धारा 94 के अंतर्गत ओवर दि काउन्टर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया जिससे याचिकाकर्ता कंपनी के शेयर संबंधित है के बंद होने से अंशधारकों को उनके शेयर्स में विनियोजित राशि वापस प्राप्त करने की व्यवस्थापन के संबंध में।

फार्म नं. 6

याचिका की सूचना

(कंपनीज कोर्ट रूल्स 1959 के नियम 80 के अंतर्गत)

माननीय कंपनी जज मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष दिनांक 27.10.2014 को मेसर्स देवास मेटल सेक्शन्स लिमिटेड द्वारा ओवर दि काउन्टर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इण्डिया जिससे याचिकाकर्ता कंपनी के शेयर संबंधित है के बंद होने से अंशधारकों को उनके शेयर्स में विनियोजित राशि वापस प्राप्त करने की व्यवस्थापन की योजना की स्वीकृति के संबंध में एक याचिका कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 391 से 394 सहपठित धारा 94 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई थी जिसमें आगामी सुनवाई दिनांक 01.12.2014 को नियत की गई है। यदि कोई व्यक्ति उक्त याचिका के पक्ष में समर्थन अथवा विरोध में कोई आपत्ति दर्ज कराना चाहता है तो उसकी सूचना याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से अपना नाम एवं पता सूचित करते हुए याचिका की सुनवाई के दो दिन पूर्व प्रस्तुत कर सकता है। आपत्ति की दशा में उक्त सूचना पत्र के साथ आपत्ति के आधार अथवा शपथ पत्र की प्रति भी प्रस्तुत की जाना चाहिए। याचिका की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त की जा सकती है।

लक्की जैन, अधिवक्ता
एम. मुंशी एण्ड एसोसिएट्स
304–306, नवनीत प्लाजा,
5/2, ओल्ड पलासिया, इन्दौर–452 018

इन्दौर
दिनांक 31/10/2014